न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 45/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 10.03.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भूपेन्द्र सिंह आत्मज श्री मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथी खेड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नृसिंह आत्मज स्व० आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथी खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०
2. जोधराज सिंह आत्मज स्व० आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथी खेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०
3. श्रीमती धापू बाई पुत्री स्व० आनन्द सिंह पत्नी श्री संग्राम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कांकडदा तहसील किशनगंज जिला बारां राज०
4. श्रीमती लाडकंवर बाई पुत्री स्व० आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आसन का खरखडा तहसील अटरू जिला बारां राज०
5. नन्द सिंह आत्मज स्व० मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राज०
6. श्याम सिंह आत्मज स्व० मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राज०
7. महावीर सिंह आत्मज स्व० मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राज०
8. इन्द्र सिंह आत्मज स्व० मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राज०
9. श्रीमती लक्ष्मी कंवर पुत्री स्व० मोहन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आकोदिया तहसील खानपुर जिला झालावाड राज०
10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

... रेस्पोडेन्ट्स

27/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक –अपीलांट
श्री उत्तमचंद खण्डेलवाल अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2
श्री तेजमल जैन, अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 6, 7, 8 एवं 9
पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 10

::निर्णय::

दिनांक 27.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 74/2019 बउनवान भूपेन्द्र सिंह बनाम नृसिंह वगे0 मे पारित निर्णय दिनांक 07.09.2021 (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार, लाड़पुरा, कोटा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 183 दिनांक 14.10.2008 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलांट के द्वारा 12 वर्ष के पश्चात् पेश करने पर अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करने के ठोस आधार उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 07.09.2021 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 07.09.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं नामान्तरकरण जेर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। आनन्द सिंह आत्मज स्व० करण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हाथी खेडा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खाते एवं कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 26 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 27 की 0.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 32/329 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 39 की 1.16 हेक्टर, खसरा नम्बर 115 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 123 की 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 125 की 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 220 की 1.23 हेक्टर कुल 8 किता की 3.68 हेक्टर कृषि आराजियात वाके ग्राम हाथीखेड़ा तहसील लाडपुरा में स्थित है। खातेदार श्री आनन्द सिंह के स्वर्गवास के बाद उनका फोती नामान्तरकरण सं० 183 दिनांक 14.10.2008 को रेस्पो० नं० 1 लगायत 4 क्रमशः नृसिंह, जोधराज सिंह, धापूबाई, लाडकंवर पिसरान आनन्द सिंह के पक्ष में तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। उक्त नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होना मानते हुए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र सरसरी तोर पर पर खारिज फरमाने में त्रुटि की है। आनन्द सिंह के दो

27/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

पुत्र नृसिंह एवं जोधराज सिंह तथा तीन पुत्रियां भंवर बाई, धापू बाई व लाडकंवर एवं पत्नी उम्मेद कंवर थी। आनन्द सिंह की पत्नी श्रीमती उम्मेद कंवर एवं उनकी एक पुत्री श्रीमती भंवर बाई का स्वर्गवास आनन्द सिंह के जीवनकाल में ही हो गया था। आनन्द सिंह की मृतक पुत्री भंवर बाई के अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 पुत्र एवं पुत्रियां है, जो आनन्द सिंह एवं भंवर बाई के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही एवं उत्तराधिकार, वारिसान के सम्बन्ध में समुचित रूप से जांच किये बिना ही विचारण न्यायालय ने नामान्तरकरण सं0 183 दिनांक 14.10.2008 को तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उसकी अनुपस्थिति में तस्दीक किये जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार आनन्द सिंह खातेदार की पुत्री मृतक भंवर बाई के पुत्र व पुत्रियां होने से अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं० 5 लगायत 9 मृतक आनन्द सिंह जी का फोती नामान्तरकरण अपने पक्ष में तस्दीक कराने के अधिकारी है। नामान्तरकरण जेर अपील एंव प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 का अपील विषयक आराजियात में 1/5 हिस्सा है, इस कानूनी तथ्य पर गौर किये बिना ही हर दो अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। नामान्तरकरण सं० 183 दिनांक 14.10.2008 अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 की अनुपस्थिति में उन्हें सूचना व सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट द्वारा सर्वप्रथम जानकारी की तारीख से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गयी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का ठोस आधार पत्रावली पर मोजूद नहीं होना मानकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र उचित नहीं होना मानकर मियाद के बिन्दु पर अपील खारिज किये जाने में त्रुटि की है। नामान्तरकरण सं० 183 दिनांक 14.10.2008 ग्राम हाथीखेडा सर्वथा गैर कानूनी विधि विरूद्ध एवं त्रुटि पूर्ण है, इस कारण मियाद का बिन्दू सुसंगत नहीं है। ऐसे अवैध एवं प्रभावशून्य नामान्तरकरण कभी भी निरस्त किया जा सकता है, इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किये बिना ही एवं उन्हे कन्सीडर किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि जहां मेरिट पर केस अच्छा हो वहां अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये। इस कानूनी स्थिती पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है उपरोक्त पस्थितियों में प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन फरमाकर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना चाहिये था। हर दो अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि नामान्तरकरण सं० 183 दिनांक 14.10.2008 ग्राम हाथीखेडा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत तस्दीक फरमाया गया है, अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9

27/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

आनन्द सिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट एंवम् रेस्पो० नं० 5 लगायत 9 के पक्ष में भी नामान्तरकरण सं0 183 तस्दीक फरमाना चाहिये था। तहसीलदार लाडपुरा ने शजरा परिवार के विपरीत एंवम् कानून के विपरीत नामान्तरकरण तस्दीक फरमाने में त्रुटि की है। नामान्तरकरण तस्दीक करने वाले अधिकारी का यह विधिक दायित्व था कि वह आनन्द सिंह की मृतक पुत्री के वारिसान अपीलान्ट को तलब कर सुनवायी का अवसर प्रदान कर वारिसान की मुकम्मिल जांच कर फोती नामान्तरकरण तस्दीक करता। इस तथ्य पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.09.2021 एवं नामांतरकरण संख्या 183 दिनांक 14.10.2008 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण पुनः नियमानुसार जांच कर नामांतरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तरकरण सं० 183 दिनांक 14.10.2008 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। खातेदार आनन्द सिंह की मृतक पुत्री भंवर बाई के अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 पुत्र एवं पुत्रियां है, जो आनन्द सिंह एवं भंवर बाई के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। उक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही उसकी अनुपस्थिति में तस्दीक किये जाने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार आनन्द सिंह खातेदार की पुत्री मृतक भंवर बाई के पुत्र व पुत्रियां होने से अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं० 5 लगायत 9 मृतक आनन्द सिंह जी का फोती नामान्तरकरण अपने पक्ष में तस्दीक कराने के अधिकारी है। अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 का अपील विषयक आराजियात में 1/5 हिस्सा है। नामान्तरकरण सं० 183 दिनांक 14.10.2008 ग्राम हाथीखेडा सर्वथा गैर कानूनी विधि विरूद्ध एवं त्रुटि पूर्ण है, इस कारण मियाद का बिन्दू सुसंगत नहीं है। ऐसे अवैध एवं प्रभावशून्य नामान्तरकरण कभी भी निरस्त किया जा सकता है, इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किये बिना ही एवं उन्हे कन्सीडर किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। नामान्तरकरण तस्दीक करने वाले अधिकारी का यह विधिक दायित्व था कि वह आनन्द सिंह की मृतक पुत्री के वारिसान अपीलान्ट को तलब कर सुनवायी का अवसर प्रदान कर वारिसान की मुकम्मिल जांच कर फोती नामान्तरकरण तस्दीक करता। इस तथ्य पर

27/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

गौर किये बिना ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.09.2021 एवं नामांतरकरण संख्या 183 दिनांक 14.10.2008 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नियमानुसार जांच कर नामांतरकरण तस्दीक किये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्वरण 2024(1)DNJ [Rev.] 355, RRT 2018-19(Supp.) Page No. 145, RBJ(5) 1998 Page No. 43, 2016 RBJ Page No. 679 पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.09.2021 उचित है, क्योंकि अपीलांट को भी उक्त नामांतरकरण की जानकारी रही थी। प्राप्त अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से पेश करने का युक्तियुक्त कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए था, जो अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया। अपीलांट भंवर बाई के वारिसान है या नहीं यह नियमित वाद में ही तय होगा, इसके लिए अपीलांट नियमित वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकारों के लिए चाराजोही कर सकते हैं। इस प्रकार न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय उचित है। अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कोई ठोस युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार, लाड़पुरा, कोटा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 183 दिनांक 14.10.2008 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलांट के द्वारा 12 वर्ष के पश्चात् पेश करने पर अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करने के ठोस आधार उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 07.09.2021 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का न्यायालय हाजा में तर्क रहा है कि वादग्रस्त नामान्तरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के विपरित है, जिसके अनुसार आनन्द सिंह खातेदार की पुत्री मृतक भंवर बाई के पुत्र व पुत्रियां होने से अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं० 5 लगायत 9 मृतक आनन्द सिंह जी का फोती नामान्तरकरण अपने पक्ष में तस्दीक कराने के अधिकारी है। अपीलान्ट एवं रेस्पो० नं0 5 लगायत 9 का अपील विषयक आराजियात में 1/5 हिस्सा है। नामान्तरकरण सं० 183 दिनांक 14.10.2008 ग्राम हाथीखेडा सर्वथा गैर कानूनी विधि विरूद्ध होने से मियाद का बिन्दू सुसंगत नहीं है तथा ऐसे अवैध एवं

27/5/2025
राजस्व अपील अधिकारी कोटा

प्रभावशून्य नामान्तरकरण कभी भी निरस्त किया जा सकता है। इसके विपरित रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 का तर्क रहा है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलम्ब से पेश करने का युक्तियुक्त कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए था, जो अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में नहीं किया गया तथा अधिकारों का निर्धारण नियमित वाद के द्वारा ही किया जा सकता है।

7. उपरोक्त विवेचन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण मियाद के बिन्दु पर खारिज किया गया। नामांतरकरण तस्दीक के 12 वर्ष पश्चात् अपील पेश करने के आधार पर अपील खारिज करना उचित प्रकट नहीं होता है। मियाद के बिंदु को निर्णित करने में विवेचनात्मक निर्णय नहीं कर सरसरी तौर पर अपील खारिज करना प्रकट होता है। प्रकरण में विधि का सारभूत बिन्दु निहित होने से प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए था। न्यायिक दृष्टांत 2018–19 (supp.) RRT 145 BOR Ajmer श्रीमती गुट्टी देवी बनाम बस्तीराम एवं अन्य के अनुसार भी शून्य आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। रेस्पो0 के द्वारा अपीलांट को मृतक आनंद सिंह के वारिसान होने से इनकार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दु पर निर्णित किये जाने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा प्रकरण संख्या 74/2019 बउनवान भूपेन्द्र सिंह बनाम नृसिंह वगे0 मे पारित निर्णय दिनांक 07.09.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार, लाड़पुरा को इन दिशा–निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की सुनवाई कर पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

27/5/25

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा